दिनांक 15.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 17/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने पर दी गयी बधाई

श्री विजय कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा एन0सी0आर0बी0 (NCRB)नई दिल्ली में दिनॉकः 14.09.2023 को आयोजित सी0सी0टी0एन0एस0 हैकथान एवं साइबर चैलेन्जेज–2023 अवार्ड समारोह में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस के पास उपलब्ध तकनीकी अनुप्रयोग का तुलनात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत **उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ रिट मैनेजमेन्ट साफ्टवेयर** को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्रदान किये जाने पर श्रीमती रेणुका मिश्रा, पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एवं उनकी टीम को बधाई दी गयी।

तकनीकी अनुप्रयोग का तुलनात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत **उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के रिट मैनेजमेन्ट साफ्टवेयर** को द्वितीय स्थान हेतु प्राप्त **अवार्ड** को श्रीमती रेणुका मिश्रा द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को सौंपते हुये।

श्री विजय कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा एन0सी0आर0बी0 (NCRB)नई दिल्ली में आयोजित सी0सी0टी0एन0एस0 हैकथान एवं साइबर चैलेन्जेज–2023 अवार्ड समारोह में साइबर क्राइम यूनिट, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में नियुक्त श्री विशाल शर्मा, ए0एस0आई0(एम) को **क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ट्रेडिंग धोखाधड़ी की तकनीकी आधार पर विवेचना की केस स्टडी** में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किये जाने पर बधाई दी गयी ।

साइबर क्राइम यूनिट, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में नियुक्त श्री विशाल शर्मा, ए0एस0आई0(एम) को **क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ट्रेडिंग धोखाधड़ी की तकनीकी आधार पर विवेचना की केस स्टडी** में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर अवार्ड को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को सौंपते हुये।

उत्तर प्रदेश पुलिस को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड (Smart Policing Award)–2022

उत्तर प्रदेश पुलिस (भ्रष्टाचार निवारण संगठन) को अपराध एवं अभियोजन की श्रेणी में "Al Based data analytics tool for anti corruption efforts" हेतु FICCI (Fedaration of Indian chambers of Commerce and industry) द्वारा FICCI Smart Policing Award–2022 प्रदान किया गया।

जनपद इटावा/थाना बसरेहर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **1050/–रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 14.09.2023 की रात्रि थाना बसरेहर, थाना बढ़पुरा व थाना चौबिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किल्ली रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सौरभ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 1050/–रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन जनपद इटावा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी कैलामऊ थाना बसरेहर जनपद इटावा।

बरामदगी

1–1050/–रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना मुरसान

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 33 हजार 50 रूपये नगद**
- **लूटे गये बायोमैट्रिक मशीन, बैग आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 14.09.2023 को थाना मुरसान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खुटापुरी बम्बा पटरी के पास से अभियुक्त आकाश उर्फ अक्कू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 33 हजार 50 रूपये नगद,लूटे गये बायोमैट्रिक मशीन, बैग आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मुरसान क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुरसान पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुरसान पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश उर्फ अक्कू निवासी ऊॅचा गॉव थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–लूटे गये 33 हजार 50 रूपये नगद।

2–लूटे गये बायोमैट्रिक मशीन, बैग आदि।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **12 हजार 250 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 15.09.2023 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहमट पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1—रामदेव उर्फ प्रिन्स 2—राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने के आभूषण, 12 हजार 250 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राजेश उर्फ राजू के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामदेव उर्फ प्रिन्स निवासी ग्राम महरीपुर थाना नगर जनपद बस्ती।

2—राजेश निवासी ग्राम करमा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—लूटे गये सोने के आभूषण।

2—12 हजार 250 रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विकासनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये सोने के 04 चैन**
- **6720/–रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक कार्ड आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 15.09.2023 को थाना विकासनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–तुषार 2–शिवम उर्फ शुभम उर्फ लवी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने के 04 चैन, 6720/–रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक कार्ड आदि, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने की चैन लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विकासनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चैन आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उर्फ शुभम उर्फ लवी के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ व जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त तुषार के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ व जनपद खीरी के विभिन्न थानों पर लूट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना विकासनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तुषार निवासी गढी रोड शिवपुरी थाना कोतवाली खीरी जनपद खीरी।

2–शिवम उर्फ शुभम उर्फ लवी निवासी मोहल्ला संकटा देवी थाना कोतवाली खीरी जनपद खीरी, हालपता–सेक्टर–जी जानकीपुरम् थाना जानकीपुरम् लखनऊ।

बरामदगी

1—लूटे गये सोने के 04 चैन।

2—6720/—रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक कार्ड आदि।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद सुल्तानपुर/थाना हलियापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.09.2023 को थाना हलियापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना पुल आमघाट के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राहुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सुल्तानपुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हलियापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी ग्राम पिपरी थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 14.09.2023 की रात्रि थाना वृदावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवराह बाबा घाट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त महादेव उर्फ मनीष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महादेव उर्फ मनीष निवासी ग्राम पलसों थाना गोवर्धन जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 दो पहिया वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद**

दिनॉकः 14.09.2023 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी पुल, बाईपास रोड़ से 02 अभियुक्तों 1—अजीत 2—मंजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजीत निवासी करीरा थाना कनीना जनपद महेन्द्रगण, हरियाणा।

2—मंजीत निवासी खिडवाली थाना सदर जनपद रोहतक, हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक मय फर्जी नम्बर प्लेट।

- **जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 95 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट एवं 10 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त राजबहादुर को आजीवन कारावास व 95 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–उत्तराखण्ड राज्य के 07 अभियोगों में वांछित घूमन्तु जनजाति पारदी गिरोह का सक्रिय सदस्य रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ को आज दिनांक 15–09–2023 को उत्तराखण्ड राज्य के 07 अभियोगों में वांछित घूमन्तु जनजाति पारदी गिरोह का सक्रिय सदस्य रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी विक्रम को एसटीएफ उत्तराखण्ड के सहयोग से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्तों का विवरणः–

विक्रम पुत्र भूरा उर्फ अमर सिंह निवासी मारवाडी इन्द्रानगर महताब बाग रोड, थाना ऐत्मादौला, आगरा मूल निवासी मोठ, जनपद झॉसी, उत्तर प्रदेष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

दिनाँक 15–09–2023, समय 16.30 बजे, दादरी–भंगेल रोड पर सीएनजी पम्प के सामने सीआरपीएफ कैम्प के पास बस स्टैण्ड थाना क्षेत्र सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देशन में निरीक्षक श्री विनोद कुमार, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दि0 15–09–2023 को ए सूचना प्राप्त हुई कि घुमन्तू पारदी जनजाति गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं थाना कनखल जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के मु0अ0सं0ः 128/2022 धारा 342,380,427 भादिव में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी विक्रम पुत्र भूरा उर्फ अमर सिंह उपरोक्त ग्रेटर नोएडा में छिपकर रह रहा है। इस सूचना को एसटीएफ उत्तराखण्ड से साझा किया गया और सूचना को विकसित करते हुए एसटीएफ नोएडा एवं एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त विक्रम उपरोक्त को दादरी–भंगेल रोड पर सीएनजी पम्प के सामने, सीआरपीएफ कैम्प के पास बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है, पढा–लिखा नहीं है तथा वह घूमन्तु पारदी जनजाति से आता है और वह मूल रूप से मोठ, झॉसी उ0प्र0 का रहने वाला है। बताया कि उसके भाई मुकेश व शंकर शुरू से ही अपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं तथा नकबजनी व चोरी की घटनाऐं कारित करते रहे हैं, अपने इन्हीं भाईयों के साथ वह भी अपराधिक घटनाऐं कारित करने लगा। उसके पास मध्य प्रदेश के पारदी आते रहते हैं जिनके साथ मिलकर विक्रम ने उत्तर प्रदेश के आगरा के आस–पास के क्षेत्रों में तथा उत्तराखण्ड के देहरादून, हरिद्वार आदि क्षेत्रों नकबजनी / चोरी की कई घटनाओं को अन्जाम दिया।

अभियुक्त विक्रम ने बताया कि उसका गिरोह रात में मकानों की ग्रिल काटकर चुपचाप घरों में घुसता है और जाग हो जाने अथवा विरोध होने पर हमला करके गृह स्वामियों को घायल भी कर देता है। अभियुक्त विक्रम के गैंग में उज्जैन के रहने वाले राहुल पारदी व गुजर पारदी हैं तथा इन सभी लोगों ने मिलकर वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड के देहरादून, हरिद्वार व रानीपुर क्षेत्रों में मकानों की ग्रिल काटकर घरो में चोरी की कई घटनाऐं कारित की थी। हरिद्वार की घटना में ये सभी लोग ग्रिल काटकर घर में अन्दर घुसकर घटना कारित कर रहे थे और जाग हो जाने पर इनके द्वारा सभी घर वालों को एक कमरे बन्द करके बन्धक बना दिया था तभी मौके पर पुलिस के आ जाने पर भागते समय अभियुक्त विक्रम के भाई मुकेश को पुलिस ने पकड लिया था, जिसे छुडाने के लिए इन लोगों ने गुलेल से पत्थर मारकर एक पुलिस कर्मी की ऑख फोड कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था तथा सभी लोग मौके से भाग गये थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कनखल, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) पर मु0अ0सं0ः 128 / 2022 धारा 342,380,427 भादिव का अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें अभियुक्त विक्रम उपरोक्त पर पुलिस महानिरीक्षक, गढवाल जोन, उत्तराखण्ड के स्तर से रू0 50,000 / – का पुरस्कार घोषित हो रखा है। इस अभियोग में इस गैंग के सदस्य मुकेष, शंकर व राहुल जेल जा चुके हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त विक्रम पर उत्तराखण्ड में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग सहित 07 अभियेाग पंजीकृत है और सभी अभियोगों में यह वांछित चल रहा था।

अभियुक्त विक्रम उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	38/2022	307,457,380 भादवि	रानीपुर	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2	128/2022	380,457 भादवि	कनखल	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
3	143/2022	380,457 भादवि	कनखल	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
4	161/2022	380,457 भादवि	कनखल	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
5	211/2022	380,457 भादवि	रानीपुर	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
6	279/2022	323,332,307,34 भादवि	रानीपुर	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
7	575/2022	2/3 गैगस्टर एक्ट	रानीपुर	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम उपरोक्त को थाना कनखल, जनपद हरिद्वार (उत्तरखण्ड) के मु0अ0सं0: 128/2022 धारा 342,380,427 भादिव में दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा की जायेगी।

————